## न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं न्याय निर्णयन अधिकारी सवाई माधोपुर
## पीठासीन अधिकारी– डॉ0 सूरज सिंह नेगी

सिविल प्रकरण संख्याः– 45 / 2016 तारीख रजू :–03.11.2016

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी,कार्यालय स्टेट डी.ओ. एवं संयुक्त निदेशक (ग्रा.स्वा.) निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर।

.....आवेदक

**बनाम**

रमेश चन्द गोधा पुत्र स्व0 श्री गिर्राज प्रसाद, खाद्य कारोबारकर्ता एवं प्रोपराइटर मैसर्स– लक्ष्मी मिष्ठान भण्डार, सदर बाजार, सीटी सवाईमाधोपुर निवासी मनिहारी मोहल्ला सवाईमाधोपुर (राज0)

..... अभियुक्त

**न्याय निर्णयन आवेदन अन्तर्गत धारा 3(1)(zx), धारा 26 (2) (ii) तथा धारा 49,51 एफ. एस.एस.एक्ट 2006 रूल्स 2011**

**निर्णयः–** दिनांक 12/1/23

उक्त न्याय निर्णयन आवेदन आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राज0 जयपुर के आदेश क्रमांक 475 दिनांक 10.08.2011 द्वारा प्राधिकृत खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री राजेश कुमार अग्रवाल खाद्य सुरक्षा अधिकारी (आवेदक) केन्द्रीय दल कार्यालय आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जयपुर 302005 (राज0) ने अन्तर्गत धारा 68 खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि आवेदक दिनांक 04.11.2015 को 05.15 पी.एम. पर सदरबाजार सिटी सवाई माधोपुर में मैसर्स– लक्ष्मी मिष्ठान भण्डार, सदर बाजार सीटी, सवाई माधोपुर पहुंचा। वहां पर श्री रमेश चन्द गोधा पुत्र स्व0 श्री गिर्राज प्रसाद को अपना परिचय दिया एवं परिचय पत्र दिखाया तथा जानकारी करने पर रमेश चन्द गोधा ने स्वयं को मैसर्स– लक्ष्मी मिष्ठान भण्डार, सदर बाजार सीटी, सवाई माधोपुर का खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक होना बताया। [illegible] को संस्थान के निरीक्षण के समय संस्थान में 1 स्टील की ट्रे में 3.000 [illegible] आम जनता को बेचान हेतु रखे हुए हैं, में मिलावट का शक होने पर [illegible] खाद्य कारोबारकर्ता श्री रमेश चन्द गोधा को गवाहान की उपस्थिति में सूचित करते हुए कि आवेदक खाद्य कारोबारकर्ता के द्वारा आम जनता को बेचान हेतु रखा हुआ खाद्य पदार्थ मिल्ककेक, (मावा मिठाई) का नमूना लेकर जांच करवाना चाहता हूं। गवाहान की उपस्थिति में खाद्य कारोबारकर्ता श्री रमेश चन्द गोधा से खाद्य पदार्थ

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2023.08.04 12:00:30 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

मिल्ककेक, (मावा मिठाई) 2.000 किलोग्राम नमूना जांच हेतु खरीदा, जिसकी कीमत के राशि रुपये 480.00 नकद देकर रसीद प्राप्त की व खाद्य कारोबारकर्ता एवं गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर किये। आवेदक ने मौके पर फार्म सं. 5 ए की प्रतियां तैयार कर खाद्य कारोबारकर्ता एवं गवाहान को पढकर सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे श्री रमेश चन्द गोधा ने भी पढकर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। फार्म सं. 5ए की एक प्रति खाद्य कारोबारकर्ता श्री रमेश चन्द गोधा को देकर रसीद प्राप्त की। आवेदक ने खरीदशुदा खाद्य पदार्थ मिल्ककेक, (मावा मिठाई) 2.000 किलोग्राम को 4(चार) साफ, सुखे व खाली शीशीयों में बराबर–बराबर डाला। चारो शीशियों में 40–40 बूंदे फार्मेलिन 40% की डाली। जिन प्रत्येक शीशियों पर लेबल लगाया व लेबल पर स्टेट डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक ईई–682 डाला, आवेदक ने हस्ताक्षर किये व खाद्य कारोबारकर्ता एवं गवाहान के हस्ताक्षर करवाये। प्रत्येक नमूने को खाकी कागज से लपेट कर मुँह गोंद से चिपका कर स्टेट डी.ओ. की स्लिप कोड व सीरियल नं0 ईई–682 चिपकाई व डोरे से बांधकर प्रत्येक नमूने पर चार–चार जगह चपडी से सील मोहर कर नियमानुसार नमूना लिया। चारो नमूनों पर बाहर चस्पा स्लिप पर कोस करते हुए खाद्य कारोबारकर्ता के हस्ताक्षर करवाये, एवं गवाहान व आवेदक ने रेपर पेपर पर हस्ताक्षर किये। मौके पर की गई कार्यवाही की फर्द रिपोर्ट तैयार की व पढकर सुनाकर आवेदक ने हस्ताक्षर किये, खाद्य कारोबारकर्ता व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये। मौके पर सील बन्द चारो नमूना भागों को आवेदक ने अपने जाप्ते में लिया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुंचकर फार्म सं0 6 की छः प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं0 6 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक जयपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की। दो फार्म सं0 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपडी से सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक जयपुर को जमा कराकर फार्म सं0 6 की पुस्त पर रसीद प्राप्त की। शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म सं0 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग स्टेट डी.ओ. एवं संयुक्त निदेशक (ग्रा.स्वा.) निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये, राजस्थान जयपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को स्टेट डी.ओ. एवं संयुक्त निदेशक (ग्रा.स्वा.) निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं. एल.एस./3443/एक्ट/2015/1320 दिनांक 15.12.15 के अनुसार खाद्य कारोबारकर्ता खाद्य कारोबारकर्ता द्वारा वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ मिल्ककेक, (मावा मिठाई) धारा 3(1)(zx), धारा 26 (2)(ii) तथा धारा 49,51 एफ.एस.एस.एक्ट 2006 रूल्स 2011 अन्तर्गत अवमानक स्तर (सबस्टेण्डर्ड) [illegible] पाया गया। उक्त प्रकरण में खाद्य कारोबारकर्ता द्वारा खाद्य पदार्थ मिल्ककेक, (मावा मिठाई) अवमानक स्तर (सबस्टेण्डर्ड) का विक्रय करके एफ.एस.एस.ए. 2006 एवं नियम 2011 की धारा 3(1)(zx), धारा 26 (2)(ii) का उल्लंघन किया है जो धारा 51 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2023.08.04 12:00:30 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

न्याय निर्णयन आवेदन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अभियुक्त को जरिये नोटिस तलब किया गया। अभियुक्त जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुआ तथा नोटिस का जवाब प्रस्तुत किया गया।

अभियोजन अधिकारी द्वारा न्याय निर्णयन आवेदन पत्र में यह तथ्य अंकित किए गए हैं कि अभियुक्त द्वारा सबस्टेण्डर्ड (खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii)) प्रकृति के खाद्य पदार्थ मिल्ककेक (मावा मिठाई) का निर्माण एवं विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) का उल्लघंन किया है जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 में जुर्माने योग्य अपराध है। अतः अभियुक्त को अधिकतम शास्ति राशि से दण्डित किया जावें। ।

अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत जवाब/बहस में अपनी विक्रय की गयी खाद्य सामग्री मिल्ककेक (मावा मिठाई) को दूध से बना हुया बताया है तथा तर्क दिया है कि दूध में फेट कन्टेन्ट कम/ज्यादा होने के कारण उसके मिल्ककेक (मावा मिठाई) का सेम्पल सबस्टैण्डर्ड पाया गया है। अतः उक्त बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए अभियुक्त ने अपने जबाव प्रार्थना पत्र के अन्त में शीघ्र प्रकरण का निस्तारण करने हेतु निवेदन किया है।

उभय पक्ष के आवेदन पत्र/बहस सुनने व आवेदक द्वारा प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन व दस्तावेजात का अवलोकन करने के उपरान्त मै इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं. एल.एस./3443/एक्ट/2015/1320 दिनांक 15.12.15 के अनुसार खाद्य कारोबारकर्ता खाद्य कारोबारकर्ता द्वारा वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ मिल्ककेक, (मावा मिठाई) धारा 3(1)(zx), धारा 26 (2)(ii) तथा धारा 51 एफ.एस. एस.एक्ट 2006 रूल्स 2011 अन्तर्गत अवमानक स्तर (सबस्टेण्डर्ड) होना पाया गया जिसकी पुष्टी खाद्य विश्लेषक की जाँच रिपोर्ट से हो जाती है।

उक्त विवेचन के आधार पर अभियुक्त द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की उप धारा 26 (2)(ii) अपराध कारित करने का दोषी माना जाकर दोष सिद्ध अपराधी करार दिया जाता है तथा उक्त आपराधिक कृत्य के कारित करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम,2011 के नियम 51 के अन्तर्गत आर्थिक शास्ति राशि के दण्ड से दण्डित किये जाने का प्रावधान प्रावधित है।

अतः अभियुक्त को सबस्टेण्डर्ड (खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) ) प्रकृति के खाद्य पदार्थ मि[illegible] (मावा मिठाई) का विक्रय करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 के अन्तर्गत अभियुक्त पर 20,000/–रू0 (अक्षरे बीस हजार रूपये) की आर्थिक शास्ति राशि अधिरोपित करने के दण्ड से दण्डित किया जाता है तथा अभियुक्त को अवगत कराया जाता है कि वह उक्त दण्डित शास्ति राशि 30 दिवस के अन्दर–अन्दर न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2023.08.04 12:00:30 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

मजिस्ट्रेट सवाई माधोपुर के पक्ष में देय राष्ट्रीयकृत बैंक से जारी रेखांकित ड्राफ्ट द्वारा न्याय निर्णयन अधिकारी को जमा करावें, अन्यथा गुजरने मियाद अपील नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जावेंगी। आदेश की एक प्रति आवेदक को तथा एक प्रति अभियुक्त को यदि उपस्थित हो तो व्यक्तिशः या प्राधिकृत व्यक्ति को परिदत्त की जावे। अन्य स्थिति में आदेश की प्रति जरिये पंजीकृत डाक प्रेषित की जावें।

निर्णय आज दिनांक 12/1/2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(डॉ. सूरज सिंह नेगी )
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2023.08.04 12:00:30 IST
Reason: SelfAttested